यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत (अल्मोड़ा)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत (अल्मोड़ा)** के माह 04/2012 से 04/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल-सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 30.05.2018 से 02.06.2018 तक सम्पादित की गयी।

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त ताडिखेत ब्लॉक है। इकाई का मुख्य कार्य चिकित्सा से समन्धित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। इकाई के अंतर्गत NHM की योजना संचालित है, योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार लाना है।

   (ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(धनराशि ₹ लाख मे)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत /समर्पण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| **2015-16** | 00 | 00 | 364.83 | 324.57 | 6.34 | 6.06 | 00 | 40.53 |
| **2016-17** | 00 | 00 | 359.07 | 359.00 | 5.41 | 5.36 | 00 | 0.12 |
| **2017-18** | 00 | 00 | 428.81 | 413.05 | 7.25 | 7.06 | 00 | 15.95 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | अंतिम अवशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| **2015-16** | RCH Flexipool | 227264 | 4781702 | 4840703 | 168263 |
| | NRHM Additional ties | 699737 | 2586519 | 2660711 | 625545 |
| | Immunisation | 21802 | 955807 | 801909 | 52995 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2016-17** | RCH Flexipool | 168263 | 5138962 | 5176328 | 127780 |
| | NRHM Additional ties | 625545 | 5265188 | 3273539 | 2404706 |
| | Immunisation | 52995 | 858461 | 649245 | 179666 |
| **2017-18** | RCH Flexipool | 127780 | 2518231 | 1904787 | 1224 |
| | NRHM Additional ties | 2404706 | 4923361 | 6732154 | 595912 |
| | Immunisation | 179666 | 903208 | 1050722 | 32152 |

(iii) इकाई को वेतन, औषधि, चिकित्सा उपकरण, एवं निर्माण आदि मदों हेतु बजट राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु बजट केंद्र सरकार से आवन्टित किया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई को 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

**विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-**

(i) सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, शासन

(ii) महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

(iii) निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(v) उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी

(vi) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा 04/2012 से 04/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत (अल्मोड़ा)** के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत (अल्मोड़ा)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-2 (ब)

**प्रस्तर 1- विभागीय उदासीनता एवं योजना के असफल क्रियान्वयन के कारण ₹ 144.24 लाख की धनराशि व्यय होने के बाद भी निर्धारित लक्ष्यो का प्राप्त न होना।**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आर॰ सी॰ एच॰ फ्लेक्सिपूल (R C H Flexi pool) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव, महिला नसबंदी, पुरुष नसबनदी, टीकाकरण आदि कार्यक्रम संचालित किया जाता है। हर कार्यक्रम हेतु लक्ष्य निर्धारित होता है तथा तदनुसार ही धनराशि आवंटित की जाती है, उक्त धन राशि स्टाफ को वेतन एवं कार्यक्रम पर व्यय किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष का दायित्व होता है कि निधारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करे तथा कार्य के सापेक्ष धनराशि का व्यय किया जाए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा को विगत तीन वर्षो मे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आर॰ सी॰ एच॰ फ्लेक्सीपूल एवं टीकाकरण कार्यक्रम के** अंतर्गत आवंटित राशि एवं व्यय तथा भौतिक प्रगति समबन्धि अभिलेखो की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि विगत तीन वर्षो मे ₹ 144.24 लाख की धनराशि व्यय के बाद भी निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी। जिसका विवरण निमन्वत था-

**(धनराशि ₹ मे)**

| वर्ष | योजना | प्रारम्भिक शेष | आवंटन | ब्याज | कुल उपलब्ध राशि | व्यय | अंतिम अवशेष | कार्यक्रम का नाम | निर्धारित लक्ष्य | उपलब्धि | कमी एवं कमी का % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | आरसीएच फ्लेक्सिपूल | 227264 | 4762882 | 18820 | 5008966 | 4840703 | 168263 | संस्थागत प्रसव | 120 | 80 | 40 (33.33) |
| | टीकाकरण | 21802 | 953787 | 12520 | 988109 | 801909 | 52995 | महिला नसबनदी | 200 | 126 | 74 (37) |
| | | | 0 | | | 0 | | पुरुष नसबनदी | 20 | 04 | 16 (80) |
| | | | 0 | | | 0 | | टीकाकरण (मीजिल्स) | 1062 | 967 | 98 (9.03) |
| | | | 0 | | | 0 | | टीकाकरण (मीजिल्स बूस्टर) | 1062 | 931 | 131 (12.33) |
| | | | 0 | | | 0 | | ग्राम स्वास्थ एवमा पोषण दिवस | 1416 | 1312 | 104 (7.34) |
| | | | 5716669 | | | 5642612 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | आरसीएच फ्लेक्सिपूल | 168263 | 5122681 | 16281 | 5307225 | 5176328 | 127780* | संस्थागत प्रसव | 120 | 51 | 69 (57.50) |
| | टीकाकरण | 52995 | 851030 | 7431 | 911456 | 649245 | 179666* | महिला नसबनदी | 200 | 123 | 77 (38.50) |
| | | | 0 | | | 0 | | पुरुष नसबनदी | 20 | 03 | 17 (85) |
| | | | 0 | | | 0 | | टीकाकरण (मीजिल्स) | 1062 | 920 | 142 (13.37) |
| | | | 0 | | | 0 | | टीकाकरण (मीजिल्स बूस्टर) | 1062 | 757 | 305 (28.71) |
| | | | 0 | | | 0 | | ग्राम स्वास्थ एवं पोषण दिवस | 1416 | 1731 | 45 (3.17) |
| | | | 5973711 | | | 5825573 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2017-18 | आरसीएच फ्लेक्सिपूल | 127780 | 2509044 | 9187 | 2646011 | 1904787 | 1224* | संस्थागत प्रसव | 120 | 31 | 89 (74.16) |
| | टीकाकरण | 179666 | 901063 | 2145 | 1082874 | 1050722 | 32152 | महिला नसबनदी | 200 | 100 | 100 (50.00) |
| | | | 0 | | | 0 | | पुरुष नसबनदी | 20 | 01 | 19 (95) |
| | | | 0 | | | 0 | | टीकाकरण (मीजिल्स) | 1062 | 66 | 396 (37.29) |
| | | | 0 | | | 0 | | टीकाकरण (मीजिल्स बूस्टर) | 1062 | 659 | 403 (37.94) |
| | | | 0 | | | 0 | | ग्राम स्वास्थ एवं पोषण दिवस | 1416 | 1403 | 13 (0.91) |
| | | | 3410107 | | | 2955509 | | | | | |
| | | | 15,100,487 | | | 1,44,23,694 | | | | | |

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम उपलब्धि प्राप्त हो रही थी जबकि उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु आवंटन के सापेक्ष लगभग समस्त राशि का व्यय हो रहा था उसके बाद भी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होना राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रति विभागीय उदासीनता एवं योजना के असफल क्रियान्वयन को परिलक्षित करता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि की गयी तथा उत्तर मे बताया गया कि बजट कि मांग आवश्यकतानुसार कि जायेगी। इकाई का उत्तर स्वम लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

**अतः विभागीय उदासिनता एवं योजना के असफल क्रियान्वयन के कारण ₹ 144.24 लाख की धनराशि व्यय के बाद भी निर्धारित लक्ष्यो का प्राप्त न होना।**

**<u>भाग- 2 (ब)</u>**

**प्रस्तर 2- ₹ 85.25 लाख कि धनराशि की प्रविष्टियों को रोकड़ बही मे अंकित न किए जाना।**

शासन के पत्रांक सं0. 3/XXVII(6)/2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय की रोकड़.बही (राज्य योजना) की नमूना जाँच में पाया गया कि विस्तृत जांच हेतु चयनित माह मार्च/2014 व मार्च/2018 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त **Form BM- 5** के कुल **₹ (2848072-96000)=2752072 + ₹ 57,73,055/-=85,25,127/-** की आहरित सकल धनराशि (Gross Amount) को रोकड़.बही के नियमानुसार रख-रखाव न किये जाने के कारण रोकड़.बही में नहीं दर्शाया गया था। उक्त धनराशि को केवल 11-सी मे दर्शाया गया था।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि की तथा उत्तर मे बताया कि भविष्य मे ध्यान रखा जायेगा तथा प्रविष्टिया पूर्ण का ली जायेगी। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

**अत ₹ 85.25 लाख कि धनराशि कि प्रविष्टियों को रोकड़ बही मे अंकित न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।**

**STAN**

**प्रस्तर 1- ₹ 44,224/- से अधिक की अनुपयोगी सामग्री/उपकरणो की नीलामी न किया जाना।**

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताड़ीखेत के अवधि 04/2012 से 04/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य सामग्री/उपकरण से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2015-16 से **सलग्नक सूची** के अनुसार धनराशि **₹ 44,224/-** की सामग्री/उपकरण अनुपयोगी पडी हुयी थी। इसके अतिरिक्त सूची मे scroller board-01, examination table-01, oxygen cylinder stand-02 तथा auto clave-01 का मूल्य नहीं दर्शाया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है की **₹ 44,224/-** मूल्य के अनुपयोगी सामग्री/उपकरण काफी समय से ख़राब/ निष्प्रयोज्य पड़े हुए थे, जिनकी नियमानुसार नीलामी नहीं की गयी परिणाम स्वरूप उक्त सामाग्रीयों का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा हैं।

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताडिखेत परिसर मे चिकित्सकीय उपकरण, फोटो स्टेट मशीन, एम्बुलेंस तथा अन्य उपकरण अनुपयोगी स्थिति मे पड़े हुए थे जिनको न तो निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था और न हे उनको निष्प्रयोज्य समग्रियों की सूची मे शामिल किया गया था-

ऊपर दिये गए चित्रों से स्पष्ट है की उक्त अनुपयोगी उपकरणो का निस्तारण नहीं किए जाने से दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था जिसके कारण उक्त समग्रियों के नीलामी से होने वाली प्राप्ति मे कमी आ रही थी जिसका परिणाम निश्चित रूप से शासन को अप्रत्यक्ष राजस्व की हानि होगी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने परर इकाई ने तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि की तथा उत्तर मे बताया कि शीघ्र अति शीघ्र  नीलामी कर कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा) को अवगत करा दिया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

**अत: ₹ 44,224/- की सामग्री/उपकरणो की नीलामी न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।**

**STAN**

**प्रस्तर 2- आवश्यकता से अधिक मांग के कारण विगत तीन वर्षो मे ₹ 56.62 लाख ₹ समर्पण करना।**

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होता है कि सम्यक विचारोप्रान्त बजट की मांग प्रस्तुत करे तथा धनराशि के अवशेष रहने की स्थिति में यथा समय समर्पित कर दिया जाना चाहिये जिससे कि अन्यत्र उसका उपयोग हो सके सके।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताडिखेत अल्मोड़ा, के बजट पत्रावली एवं संबन्धित लेखा अभिलेखों के नमूना जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विगत दो वर्षो 2016-17 एवं 2017-18 मे चिकित्सा अधीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताडिखेत कार्यालय द्वारा स्थापना मद ₹ 56.62 लाख की धनराशि वर्ष के अंत मे समर्पित किया गया था, जिसका विवरण निमन्वत था-

| **वर्ष** | **स्थापना** | | | **गैर स्थापना** | | | **कुल समर्पित राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **आवंटन** | **व्यय** | **शेष** | **आवंटन** | **व्यय** | **शेष** | |
| 2015-16 | 36483400 | 32457622 | 4025778 | 634172 | 606592 | 27580 | 4053358 |
| 2016-17 | 35907266 | 35900266 | 7000 | 541792 | 536180 | 5612 | 12612 |
| 2017-18 | 42881957 | 41305996 | 1575961 | 725763 | 706017 | 19746 | 1595707 |
| **योग** | **115272623** | **109663884** | **5608739** | **1901727** | **1848789** | **52938** | **5661677** |

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताडिखेत कार्यालय द्वारा बजट की मांग आवश्यकता से अधिक की जा रही थी तथा विगत तीन वित्तीय वर्ष मे ₹ 56.62 लाख की धनराशि वर्ष के अन्त मे समर्पित किया गया था, जिस कारण उक्त राशी का अन्यत्र उपयोग किया जाना सम्भव नहीं था।

वर्ष 2016-17 का बजट समर्पण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण वास्तविक समर्पण की जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि की गयी तथा उत्तर मे बताया गया कि बजट कि मांग आवश्यकतानुसार कि जायेगी। इकाई का उत्तर स्वम लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

**अत: आवश्यकता से अधिक मांग के कारण विगत तीन वर्षो मे ₹ 56.62 लाख रुपए समर्पण करने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।**

**STAN**

**प्रस्तरः- 03 विभागीय उदासीनता के चलते स्वीकृत पदों के बारे में इकाई का अनभिज्ञ रहना।**

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ केंद्र, अल्मोड़ा को अप्रैल 2012 मे आहरण वितरण अधिकार प्राप्त हुआ था उक्त तिथि से ताडीखेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक स्वतंत्र इकाई के रूप मे कार्यरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताडीखेत को संचालित होते काफी समय हो गया है उसके बाद भी केंद्र कार्यालय को इस बात की जानकारी नहीं थी की उक्त स्वास्थ्य केंद्र के लिए कुल कितने पद स्वीकृत हैं। कार्यालय अध्यक्ष को अपने कार्यालय के लिए कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ तथा कर्मचरियों की अवश्यकता का पता न होना हास्यास्पद था। तैनात/कार्यरत चिकित्सको, पैरामेडिकल स्टाफ एवं कर्मचरियों की स्थिति निम्नवत् थी-

| **पदनाम** | **स्वीकृत पद** | **कार्यरत** | **रिक्त पद** |
|---|---|---|---|
| चिकित्सा अधिकारी | | 6 | |
| फार्मेसिस्ट | | 14 | |
| वरिष्ठ सहायक | | 2 | |
| स्वास्थ निरीक्षिका | | 2 | |
| ए॰एन॰एम॰ | | 19 | |
| नेत्रा सहायक | | 1 | |
| लैब टेकनीशियन | | 1 | |
| वार्ड बाय | | 4 | |
| स्वच्छक | | 3 | |
| चपरासी | | 1 | |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताडीखेत अल्मोड़ा कार्यालय को स्वीकृत पदो का पता ही नहीं था जो विभागीय उदासीनता को परिलक्षित करता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ो की पुष्टि की गयी तथा उत्तर में बताया गाय कि निदेशालय स्तर पर इस संबंध में सूचना प्राप्त कर के सीधे कार्यायलय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है।

अतः विभागीय उदासीनता के चलते सवीकृत पदों के बारे में अनभिज्ञता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या** | **भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या** | **STAN** |
|---|---|---|---|
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **नोट**- यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण** | **अनुपालन आख्या** | **लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी** | **अभ्युक्ति** |
|---|---|---|---|---|
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| **नोट**- यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

**भाग-IV**

**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

..... शून्य .....

**भाग-V**

**आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत (अल्मोड़ा)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

**अप्रस्तुत अभिलेख:**

(i) राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय चोनापाखुरा।

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :**

| **क्र०स०** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 01 | डॉ0 अखिलेश | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ताडिखेत | 20.04.2012 से 07.07.2012 |
| 02 | डॉ0 देवेंद्र सिंह नबियाल | प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ताडिखेत | 08.07.2012 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत (अल्मोड़ा)** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**